



बिहार सरकार  
वित्त विभाग

जेन्डर बजट

**2010-11**

(फरवरी, 2010)

## प्राक्कथन

महिलायें राज्य की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं। अभी तक यह माना जाता रहा है कि लोक-व्यय महिला या पुरुष आधारित नहीं (gender neutral) होते हैं। उनका लाभ पुरुष एवं महिलाओं दोनों को समान रूप से मिलता है। लेकिन अब धीरे-धीरे यह बात और सोच सामने आ रही है कि

यह सत्य से परे है। महिलाओं से सम्बन्धित सभी विकास संकेतक पुरुषों की तुलना में खराब हैं। अधिकतर मामलों में तो लिंग आधारित आंकड़े एकत्रित भी नहीं किये जाते हैं। बिहार के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं

| बिहार में महिला एवं पुरुष के तुलनात्मक विकास संकेतक |               |       |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------|
| संकेतक                                              | अद्यतन आँकड़ा |       |
|                                                     | पुरुष         | महिला |
| 1                                                   | 2             | 3     |
| जनसंख्या (करोड़ में)                                | 4.32          | 3.97  |
| जन्म के समय जीवन प्रत्याशा                          | 61.4          | 59.5  |
| लिंग अनुपात - सभी आयु वर्ग                          | 1000          | 921   |
| लिंग अनुपात - (0-4 वर्ष) 0-6 वर्ष                   | 1000          | 942   |
| मातृत्व मृत्यु दर (प्रति 100000 जीवित जन्म)         |               | 371   |
| नामांकन प्रतिशत                                     | 77            | 69    |
| साक्षरता प्रतिशत                                    | 60.32         | 33.57 |

हमारी सरकार ने इस तथ्य को पहचाना है । राज्य का असली विकास तब तक सम्भव नहीं हो सकेगा जब तक आधी जनसंख्या विकास में भागीदार नहीं बने । इसीलिये राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कर बिहार को पूरे देश में पहले राज्य का स्थान दिलाया है । महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिये कई नई योजनायें भी आरम्भ की गयी हैं ।

सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2008-09 से लिंग आधारित बजटीय व्यवस्था की शुरुआत की गई है। इसी के अंतर्गत लिंग-आधारित बजट विवरणी प्रस्तुत की जा रही है। साधारण भाषा में इस व्यवस्था में निम्नलिखित मुख्य बिन्दु उल्लेखनीय हैं :-

- प्रत्येक क्षेत्र को महिलाओं के नजरिये से देखा जाये और तदनुसार बजट में यथासम्भव प्रावधान किये जाये।
- यह आवश्यक नहीं है कि व्यय महिलाओं के लिये ही किया जाय वरन् यह आवश्यक है कि ऐसे व्यय से या कार्यक्रमों से महिलाओं की स्थिति में सुधार होता हो अथवा उनको लाभ पहुंचता हो। उदाहरणार्थ पेयजल, सफाई एवं बच्चों का स्वास्थ्य महिलाओं के लिये सीधे कर्णांकित नहीं है, लेकिन इससे सीधा प्रभाव महिलाओं की स्थिति सुधारने में होता है, चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का काफी समय एवं शक्ति इन कार्यों में खर्च होती है।

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये सर्वप्रथम वित्त विभाग में एवं उसके पश्चात चरणों में मुख्य विभागों में लिंग आधारित बजट तैयार करने के लिये कोषांग स्थापित किये जा रहे हैं। वर्ष 2008-09 से जेन्डर बजट की शुरुआत की गई है, जिनमें दस विभागों को इससे आच्छादित किया गया है। वर्ष 2009-10 से दो अन्य विभाग योजना एवं विकास विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को जेंडर बजट के अन्तर्गत रखा गया एवं वर्ष 2010-11 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भी इसके अन्तर्गत शामिल किया जा रहा है, वित्तीय वर्ष 2010-11 में जेंडर बजट के अन्तर्गत शामिल विभागों की सूची निम्नवत् है :-

1. समाज कल्याण विभाग।
2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग।
3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।
4. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
5. मानव संसाधन विभाग
6. स्वास्थ्य विभाग।
7. ग्रामीण विकास विभाग।
8. नगर विकास एवं आवास विभाग।
9. पंचायती राज विभाग।
10. श्रम संसाधन विभाग।
11. योजना एवं विकास विभाग।
12. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
13. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

आगामी वर्षों में अन्य विभागों को भी लिंग आधारित व्यवस्था से आच्छादित किया जायेगा । इस विवरण में महिलाओं की स्थिति सुधारने वाली योजनाओं के लिये प्रावधानों को दो श्रेणियों में दर्शाया गया है ।

श्रेणी-1 में ऐसी योजनायें हैं जिनमें 100% प्रावधान महिलाओं के लाभ लिये है ।

श्रेणी-2 में ऐसी योजनायें हैं जिनमें महिलाओं के लाभ के लिये कुल प्रावधान का कम से कम 30% आवंटन है ।

लिंग आधारित बजट अभी भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है । अभी यह पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं हुआ है । लेकिन धीरे-धीरे इसकी बेहतर समझ होती जा रही है । राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गयी है । इसमें उपरोक्त कारणों से कुछ कमियां रह जा सकती हैं । लेकिन अगले वर्ष इस व्यवस्था से अधिकाधिक विभागों को आच्छादित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त विभाग में भी योजनाओं को भी अधिक सूक्ष्मता एवं शुद्धता से परखा जायेगा । मुझे विश्वास है कि आगामी वर्षों में इसमें उत्तरोत्तर सुधार लाया जा सकेगा ।

## संक्षिप्त विवरणी

|   |                                                        |                |                  | (राशि करोड़ में)        |
|---|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|
|   |                                                        | <b>2009-10</b> | <b>2010-2011</b> | <b>प्रतिशत परिवर्तन</b> |
| 1 | महिलाओं के लिये श्रेणी-1 (100%) योजनाओं में प्रावधान   | 1118.13        | 1650.46          | 47.61                   |
| 2 | महिलाओं के लिए श्रेणी- 2(>=30%) योजनाओं में प्रावधान   | 2238.81        | 3008.11          | 34.36                   |
| 3 | महिलाओं के लिये कुल प्रावधान                           | 3356.94        | 4658.57          | 38.77                   |
| 4 | संबंधित विभागों में कुल प्रावधान                       | 20354.35       | 21652.72         | 6.38                    |
| 5 | महिलाओं के लिये प्रावधान (कुल प्रावधान का प्रतिशत)     | 16.49          | 21.51            | 30.44                   |
| 6 | कुल बजट आकार                                           | 47446.34       | 53758.56         | 13.30                   |
| 7 | महिलाओं के लिये प्रावधान (कुल बजट प्रावधान का प्रतिशत) | 7.07           | 8.66             | 22.49                   |
| 8 | राज्य सकल घरेलु उत्पाद (रा०स०घ०उ०)                     | 129433.35      | 168302.82        | 30.03                   |
| 9 | महिलाओं के लिये प्रावधान (रा०स०घ०उ०)                   | 2.59           | 2.76             | 6.56                    |

नोट- कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्षों में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

**जेन्डर बजट 2010-11 – विभागवार विवरणी**

(राशि लाख रुपये में)

| विभाग का नाम                                 | वित्तीय वर्ष 2009-10 में |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित प्राकलन |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए |                                                              |                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                              | बजट में प्रास्तावित राशि | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्राकलन की पुनरीक्षित राशि             | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट में प्रास्तावित राशि    | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) |
| 2                                            | 3                        | 4                                                            | 5                                              | 6                                          | 7                                                            | 8                                              | 9                           | 10                                                           | 11                                             |
| समाज कल्याण विभाग                            | 215628.13                | 66177.56                                                     | 18296.94                                       | 216763.63                                  | 66177.56                                                     | 18296.94                                       | 249189.90                   | 67738.74                                                     | 26191.53                                       |
| अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग        | 31037.65                 | 8028.98                                                      | 2862.00                                        | 31120.49                                   | 8051.44                                                      | 2862.00                                        | 40336.42                    | 10507.12                                                     | 3982.74                                        |
| लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग                | 126307.03                | 6720.00                                                      |                                                | 126694.70                                  | 6720.00                                                      |                                                | 112990.72                   | 7306.18                                                      |                                                |
| अल्पसंख्यक कल्याण विभाग                      | 21157.65                 | 460.00                                                       | 200.00                                         | 21186.01                                   | 460.00                                                       | 200.00                                         | 36781.62                    | 1060.00                                                      | 50.00                                          |
| मानव संसाधन विकास विभाग                      | 873041.88                | 97907.63                                                     | 9838.24                                        | 873118.54                                  | 96957.83                                                     | 9838.24                                        | 937972.06                   | 142543.64                                                    | 24639.51                                       |
| स्वास्थ्य विभाग                              | 179420.69                | 743.00                                                       | 18819.33                                       | 180937.09                                  | 743.08                                                       | 18819.33                                       | 209991.69                   | 1052.26                                                      | 26398.30                                       |
| ग्रामीण विकास विभाग                          | 140038.57                | 12900.00                                                     | 60168.00                                       | 140038.57                                  | 12900.00                                                     | 60168.00                                       | 140461.82                   | 10449.99                                                     | 78000.00                                       |
| नगर विकास एवं आवास विभाग                     | 175444.49                | 21824.94                                                     |                                                | 176444.49                                  | 21824.94                                                     |                                                | 179078.32                   | 50092.00                                                     |                                                |
| पंचायती राज विभाग                            | 119113.99                | 3764.11                                                      |                                                | 119269.29                                  | 3764.11                                                      |                                                | 146568.90                   | 4085.01                                                      |                                                |
| श्रम संसाधन विभाग                            | 15834.93                 | 1247.67                                                      | 154.00                                         | 17179.20                                   | 1247.67                                                      | 154.00                                         | 17797.82                    | 1361.90                                                      | 65.03                                          |
| योजना एवं विकास विभाग                        | 80371.15                 | 2475.00                                                      |                                                | 80405.26                                   | 2475.00                                                      |                                                | 40659.72                    | 1800.00                                                      |                                                |
| पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | 10327.72                 | 1632.46                                                      | 1474.80                                        | 10327.72                                   | 1632.46                                                      | 1474.80                                        | 10193.73                    | 2814.59                                                      | 517.83                                         |
| राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग                  | 47710.96                 |                                                              | 0.00                                           | 59010.66                                   |                                                              | 5000.00                                        | 43249.48                    |                                                              | 5201.27                                        |
| <b>कुल : -</b>                               | <b>2035434.84</b>        | <b>223881.35</b>                                             | <b>111813.31</b>                               | <b>2052495.65</b>                          | <b>222954.09</b>                                             | <b>116813.31</b>                               | <b>2165272.20</b>           | <b>300811.43</b>                                             | <b>165046.21</b>                               |

योग संबंधित विभाग के माँग में कुल प्रावधानित राशि को प्रदर्शित करता है ।

Table 1

| जेन्डर बजट 2010-11 - विभागवार विवरणी |                                             |                          |                                                              |                                                |                                              |                                                              |                                                |                             |                                                              |                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| गैर योजना                            |                                             |                          |                                                              |                                                |                                              |                                                              |                                                |                             |                                                              |                                                |
|                                      |                                             |                          |                                                              |                                                |                                              |                                                              |                                                |                             |                                                              | (राशि लाख रुपये में)                           |
| क्र०                                 | विभाग का नाम                                | वित्तीय वर्ष 2009-10 में |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित प्राक्कलन |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए |                                                              |                                                |
|                                      |                                             | बजट में प्रस्तावित राशि  | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि             | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट में प्रस्तावित राशि     | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) |
| 1                                    | 2                                           | 3                        | 4                                                            | 5                                              | 6                                            | 7                                                            | 8                                              | 9                           | 10                                                           | 11                                             |
| 1                                    | समाज कल्याण विभाग                           | 161.96                   |                                                              | 161.96                                         | 161.96                                       |                                                              | 161.96                                         | 186.34                      |                                                              | 186.34                                         |
| 2                                    | अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण             | 4667.47                  | 1730.19                                                      |                                                | 4692.31                                      | 1737.65                                                      |                                                | 5459.45                     | 2048.19                                                      |                                                |
| 3                                    | मानव संसाधन विकास विभाग                     | 255852.01                | 73804.13                                                     | 9838.24                                        | 255852.01                                    | 73804.13                                                     | 9838.24                                        | 181710.26                   | 80701.69                                                     | 1039.51                                        |
| 4                                    | स्वास्थ्य विभाग                             | 700.01                   |                                                              | 700.01                                         | 700.01                                       |                                                              | 700.01                                         | 875.90                      |                                                              | 875.90                                         |
| 5                                    | पंचायती राज विभाग                           | 4570.02                  | 2285.01                                                      | 0.00                                           | 4570.02                                      | 2285.01                                                      |                                                | 4570.02                     | 2285.01                                                      |                                                |
| 6                                    | पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | 0.00                     |                                                              | 0.00                                           | 0.00                                         |                                                              | 0.00                                           | 517.83                      |                                                              | 517.83                                         |
|                                      | कुल : -                                     | 265951.47                | 77819.33                                                     | 10700.21                                       | 265976.31                                    | 77826.79                                                     | 10700.21                                       | 193319.80                   | 85034.89                                                     | 2619.58                                        |

|    |                                             |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
|----|---------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1  | समाज कल्याण विभाग                           | 112862.03        | 32236.65         | 18134.98        | 112862.03        | 32236.65         | 18134.98        | 140758.00        |
| 2  | अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग       | 17960.00         | 4529.40          | 2862.00         | 17960.00         | 4529.40          | 2862.00         | 25431.15         |
| 3  | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग               | 22400.00         | 6720.00          |                 | 22400.00         | 6720.00          | 0.00            | 24353.94         |
| 4  | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग                     | 1300.00          | 460.00           | 200.00          | 1300.00          | 460.00           | 200.00          | 1700.00          |
| 5  | मानव संसाधन विकास विभाग                     | 80345.00         | 24103.50         |                 | 80345.00         | 24103.50         | 0.00            | 137203.00        |
| 6  | ग्रामीण विकास विभाग                         | 96668.00         | 12900.00         | 60168.00        | 96668.00         | 12900.00         | 60168.00        | 112722.19        |
| 7  | नगर विकास एवं आवास विभाग                    | 72749.80         | 21824.94         |                 | 72749.80         | 21824.94         | 0.00            | 110800.00        |
| 8  | पंचायती राज विभाग                           | 3053.00          | 1479.10          |                 | 2866.00          | 1433.00          | 0.00            | 3600.00          |
| 9  | श्रम संसाधन विभाग                           | 4588.52          | 1247.67          | 154.00          | 4588.53          | 1247.67          | 154.00          | 5015.53          |
| 10 | योजना एवं विकास विभाग                       | 8250.00          | 2475.00          |                 | 8250.00          | 2475.00          |                 | 6000.00          |
| 11 | पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | 5492.20          | 1302.46          | 1474.80         | 5492.20          | 1302.46          | 1474.80         | 6791.17          |
| 12 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग                 | 0.00             |                  | 0.00            | 5000.00          |                  | 5000.00         | 5201.27          |
|    | <b>कुल : -</b>                              | <b>425668.55</b> | <b>109278.72</b> | <b>82993.78</b> | <b>430481.56</b> | <b>109232.62</b> | <b>87993.78</b> | <b>579576.25</b> |

नोट- कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपाशीर्षों का योग है जिन उपशीर्ष में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

नोट- कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्ष में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

**केन्द्र प्रायोजित योजना**

(राशि लाख रुपये में)

|      |                                              | वित्तीय वर्ष 2009-10 में |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित प्राक्कलन |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए |                                                              |                                                |
|------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| क्र० | विभाग का नाम                                 | बजट में प्रस्तावित राशि  | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि             | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट में प्रस्तावित राशि     | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) |
| 1    | 2                                            | 3                        | 4                                                            | 5                                              | 6                                            | 7                                                            | 8                                              | 9                           | 10                                                           | 11                                             |
| 1    | समाज कल्याण विभाग                            | 86774.32                 | 33940.91                                                     |                                                | 86774.32                                     | 33940.91                                                     |                                                | 88023.51                    | 34045.22                                                     |                                                |
| 2    | अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग        | 5893.00                  | 1769.40                                                      |                                                | 5943.00                                      | 1784.40                                                      |                                                | 3808.00                     | 1274.40                                                      |                                                |
| 3    | स्वास्थ्य विभाग                              | 20596.26                 | 743.08                                                       | 18119.32                                       | 20596.26                                     | 743.08                                                       | 18119.32                                       | 29029.92                    | 1052.26                                                      | 25522.40                                       |
| 4    | पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | 1100.00                  | 330.00                                                       |                                                | 1100.00                                      | 330.00                                                       |                                                | 2200.00                     | 660.00                                                       |                                                |
|      | <b>कुल : -</b>                               | <b>113263.58</b>         | <b>36453.39</b>                                              | <b>18119.32</b>                                | <b>113313.58</b>                             | <b>36468.39</b>                                              | <b>18119.32</b>                                | <b>120861.43</b>            | <b>37031.88</b>                                              | <b>25522.40</b>                                |

नोट- कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्षों में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

## केन्द्र योजनागत योजना

(राशि लाख रुपये में)

| क्र० | विभाग का नाम                          | वित्तीय वर्ष 2009-10 में |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित प्राक्कलन |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए |                                                              |                                                |
|------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |                                       | बजट में प्रस्तावित राशि  | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि             | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट में प्रस्तावित राशि     | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) |
| 1    | 2                                     | 3                        | 4                                                            | 5                                              | 6                                            | 7                                                            | 8                                              | 9                           | 10                                                           | 11                                             |
| 1    | अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग | 5.00                     | 1.50                                                         |                                                | 5.00                                         | 1.50                                                         |                                                | 2500.00                     | 750.00                                                       |                                                |
|      | कुल : -                               | 5.00                     | 1.50                                                         |                                                | 5.00                                         | 1.50                                                         |                                                | 2500.00                     | 750.00                                                       |                                                |

नोट- कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्ष में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

**समाज कल्याण विभाग(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)**

मॉड संख्या :-51

(राशि लाख में)

|                |                                                                                            |             |                  | वित्तीय वर्ष 2009-10 में |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित प्राक्कलन |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए     |                                                              |                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| क्र०           | परियोजना/कार्यक्रम                                                                         | समूह शीर्ष  | बजट शीर्ष        | बजट प्रावधान की राशि     | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि             | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) |
| 1              | लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना                                                     | राज्य योजना | 2235 60 102 0105 | 2092.00                  |                                                              | 2092.00                                        | 2092.00                                      |                                                              | 2092.00                                        | 6592.01                         |                                                              | 6592.01                                        |
| 2              | बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना                                          | राज्य योजना | 2235 60 102 0104 | 2672.00                  | 801.60                                                       |                                                | 2672.00                                      | 801.60                                                       |                                                | 2007.00                         | 602.10                                                       |                                                |
| 3              | राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना                                                          | राज्य योजना | 2235 60 102 0101 | 2921.60                  | 876.48                                                       |                                                | 2921.60                                      | 876.48                                                       |                                                | 2401.60                         | 720.48                                                       |                                                |
| 4              | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना                                             | राज्य योजना | 2235 03 101 0101 | 54692.00                 | 16407.60                                                     |                                                | 54692.00                                     | 16407.60                                                     |                                                | 54504.00                        | 16351.20                                                     |                                                |
| 5              | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना                                                   | राज्य योजना | 2235 03 101 0103 |                          |                                                              | 4491.00                                        |                                              |                                                              | 4491.00                                        | 5000.00                         |                                                              | 5000.00                                        |
| 6              | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना                                               | राज्य योजना | 2235 03 101 0102 |                          |                                                              |                                                |                                              |                                                              |                                                | 500.00                          | 150.00                                                       |                                                |
| 7              | राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना                                                                 | राज्य योजना | 2235 03 102 0101 | 2850.00                  | 855.00                                                       |                                                | 2850.00                                      | 855.00                                                       |                                                | 2850.00                         | 855.00                                                       |                                                |
| 8              | कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना                                                               | राज्य योजना | 2235 02 800 0104 | 1600.00                  | 480.00                                                       |                                                | 1600.00                                      | 480.00                                                       |                                                | 1600.00                         | 480.00                                                       |                                                |
| 9              | विकलांग छात्रों को छात्रवृत्तियाँ                                                          | राज्य योजना | 2235 02 101 0102 | 550.00                   | 165.00                                                       |                                                | 550.00                                       | 165.00                                                       |                                                | 550.00                          | 165.00                                                       |                                                |
| 10             | विकलांगों का सर्वेक्षण                                                                     | राज्य योजना | 2235 02 101 0105 | 80.00                    | 24.00                                                        |                                                | 80.00                                        | 24.00                                                        |                                                | 80.00                           | 24.00                                                        |                                                |
| 11             | मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना                                                                 | राज्य योजना | 2235 02 101 0110 | 500.00                   | 150.00                                                       |                                                | 500.00                                       | 150.00                                                       |                                                | 500.00                          | 150.00                                                       |                                                |
| 12             | मुख्यमंत्री निःशक्तता ऋण योजना                                                             | राज्य योजना | 2235 02 101 0103 | 300.00                   | 90.00                                                        |                                                | 300.00                                       | 90.00                                                        |                                                | 20.00                           | 6.00                                                         |                                                |
| 13             | निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण (मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना एवं ओल्ड ऐज होम) | राज्य योजना | 2235 02 101 0106 | 500.00                   | 150.00                                                       |                                                | 500.00                                       | 150.00                                                       |                                                | 1050.00                         | 315.00                                                       |                                                |
| 14             | परवरिश                                                                                     | राज्य योजना | 2235 02 102 0116 | 0.00                     | 0.00                                                         |                                                |                                              | 0.00                                                         |                                                | 50.00                           | 15.00                                                        |                                                |
| 15             | स्पैष्टिक बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना (घरौन्दा)                                      | राज्य योजना | 2235 02 106 0105 | 300.00                   | 90.00                                                        |                                                | 300.00                                       | 90.00                                                        |                                                | 300.00                          | 90.00                                                        |                                                |
| <b>कुल योग</b> |                                                                                            |             |                  | <b>69057.60</b>          | <b>20089.68</b>                                              | <b>6583.00</b>                                 | <b>69057.60</b>                              | <b>20089.68</b>                                              | <b>6583.00</b>                                 | <b>78004.61</b>                 | <b>19923.78</b>                                              | <b>11592.01</b>                                |

**समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय)**

माँग संख्या :-51

(राशि लाख में)

|         |                                                             |             |                  | वित्तीय वर्ष 2009-10 में |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित प्राक्कलन |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए     |                                                              |                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| क्र०    | परियोजना/कार्यक्रम                                          | समूह शीर्ष  | बजट शीर्ष        | बजट प्रावधान की राशि     | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि             | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) |
| 1       | बिहार राज्य महिला आयोग                                      | गैर योजना   | 2235 02 103 0003 | 30.00                    |                                                              | 30.00                                          | 30.00                                        |                                                              | 30.00                                          | 30.00                           |                                                              | 30.00                                          |
| 2       | अंतर्जातीय विवाह                                            | गैर योजना   | 2235 02 800 0002 | 35.00                    |                                                              | 35.00                                          | 35.00                                        |                                                              | 35.00                                          | 50.00                           |                                                              | 50.00                                          |
| 3       | राज्य सदन और संरक्षण आश्रय गृह                              | गैर योजना   | 2235 02 104 0001 | 96.96                    |                                                              | 96.96                                          | 96.96                                        |                                                              | 96.96                                          | 106.34                          |                                                              | 106.34                                         |
| 4       | महिला विकास निगम                                            | राज्य योजना | 2235 02 103 0105 | 250.00                   |                                                              | 250.00                                         | 250.00                                       |                                                              | 250.00                                         | 250.00                          |                                                              | 250.00                                         |
| 5       | मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना                                | राज्य योजना | 2235 02 103 0110 | 1000.00                  |                                                              | 1000.00                                        | 1000.00                                      |                                                              | 1000.00                                        | 1000.00                         |                                                              | 1000.00                                        |
| 6       | मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना                              | राज्य योजना | 2235 02 103 0109 | 6000.00                  |                                                              | 6000.00                                        | 6000.00                                      |                                                              | 6000.00                                        | 6000.00                         |                                                              | 6000.00                                        |
| 7       | मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना                             | राज्य योजना | 2235 02 103 0111 | 1200.00                  |                                                              | 1200.00                                        | 1200.00                                      |                                                              | 1200.00                                        | 4200.00                         |                                                              | 4200.00                                        |
| 8       | विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण | राज्य योजना | 2235 02 101 0111 | 15.00                    | 4.50                                                         |                                                | 15.00                                        | 4.50                                                         |                                                | 10.00                           | 3.00                                                         |                                                |
| कुल योग |                                                             |             |                  | <b>8626.96</b>           | <b>4.50</b>                                                  | <b>8611.96</b>                                 | <b>8626.96</b>                               | <b>4.50</b>                                                  | <b>8611.96</b>                                 | <b>11646.34</b>                 | <b>3.00</b>                                                  | <b>11636.34</b>                                |

| समाज कल्याण विभाग (आई0 सी0 डी0 एस0) |                                                                                                             |             |                  |                          |                                                              |                                                |                                              |                                                              |                                                |                                 |                                                              |                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| मॉड संख्या :-51                     |                                                                                                             |             |                  |                          |                                                              |                                                |                                              |                                                              |                                                | (राशि लाख में)                  |                                                              |                                                |
|                                     |                                                                                                             |             |                  | वित्तीय वर्ष 2009-10 में |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित प्राक्कलन |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए     |                                                              |                                                |
| क्र०                                | परियोजना/कार्यक्रम/ स्थापना का नाम                                                                          | समूह शीर्ष  | बजट शीर्ष        | बजट प्रावधान की राशि     | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि             | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) |
| 1                                   | समेकित बाल विकास कार्यक्रम                                                                                  | के०प्रा०यो० | 2235 02 102 0602 | 33569.49                 | 22427.33                                                     |                                                | 33569.49                                     | 22427.33                                                     |                                                | 34818.68                        | 22531.64                                                     |                                                |
| 2                                   | पूरक पोषाहार योजना                                                                                          | के०प्रा०यो० | 2236 02 101 0602 | 53204.83                 | 11513.58                                                     |                                                | 53204.83                                     | 11513.58                                                     |                                                | 53204.83                        | 11513.58                                                     |                                                |
| 3                                   | कुपोषित गर्भवती/ शिशुवती महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए खाद्यानों के वितरण की विशेष योजना (एन०पी०ए०जी०) | राज्य योजना | 2236 02 101 0802 | 1656.80                  |                                                              | 1656.80                                        | 1656.80                                      |                                                              | 1656.80                                        | 1518.00                         |                                                              | 1518.00                                        |
| 4                                   | पूरक पोषाहार (गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं दूध पिलानी वाली माँ के लिए पौष्टिक आहार)                          | राज्य योजना | 2236 02 101 0102 | 30000.00                 | 10800.00                                                     |                                                | 30000.00                                     | 10800.00                                                     |                                                | 44461.46                        | 11513.58                                                     |                                                |
| 5                                   | दुलार रणनीति योजना                                                                                          | राज्य योजना | 2235 02 102 0107 | 1445.18                  |                                                              | 1445.18                                        | 1445.18                                      |                                                              | 1445.18                                        | 1445.18                         |                                                              | 1445.18                                        |
| 6                                   | समेकित बाल विकास योजना (सामान्य) स्थापना                                                                    | राज्य योजना | 2235 02 102 0103 | 2237.45                  | 1342.47                                                      |                                                | 2237.45                                      | 1342.47                                                      |                                                | 3868.75                         | 2253.16                                                      |                                                |
| कुल योग                             |                                                                                                             |             |                  | 122113.75                | 46083.38                                                     | 3101.98                                        | 122113.75                                    | 46083.38                                                     | 3101.98                                        | 139316.90                       | 47811.96                                                     | 2963.18                                        |

**अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग**

मॉड संख्या :-44

(राशि लाख में)

|      |                                       |            |           |    |     |      | वित्तीय वर्ष 2009-10 में |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित प्राक्कलन |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए     |                                                              |                                                |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|----|-----|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| क्र० | परियोजना/कार्यक्रम                    | समूह शीर्ष | बजट शीर्ष |    |     |      | बजट प्रावधान की राशि     | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि             | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) |
| 1    | प्रवेशिकोत्तर शिक्षा                  | गैर योजना  | 2225      | 01 | 197 | 0001 | 10.00                    | 3.00                                                         |                                                | 10.00                                        | 3.00                                                         |                                                | 10.00                           | 3.00                                                         |                                                |
| 2    | छात्रवृत्ति/वाजीफा                    | गैर योजना  | 2225      | 01 | 197 | 0002 | 10.00                    | 3.00                                                         |                                                | 10.00                                        | 3.00                                                         |                                                | 10.00                           | 3.00                                                         |                                                |
| 3    | प्रवेशिकोत्तर शिक्षा                  | गैर योजना  | 2225      | 01 | 198 | 0001 | 25.00                    | 7.50                                                         |                                                | 25.00                                        | 7.50                                                         |                                                | 25.00                           | 7.50                                                         |                                                |
| 4    | मुसहर छात्रवृत्ति                     | गैर योजना  | 2225      | 01 | 198 | 0003 | 50.00                    | 15.00                                                        |                                                | 50.00                                        | 15.00                                                        |                                                | 50.00                           | 15.00                                                        |                                                |
| 5    | प्रवेशिकोत्तर शिक्षा                  | गैर योजना  | 2225      | 01 | 277 | 0007 | 525.00                   | 157.50                                                       |                                                | 525.00                                       | 157.50                                                       |                                                | 525.00                          | 157.50                                                       |                                                |
| 6    | आवासीय विद्यालय                       | गैर योजना  | 2225      | 01 | 277 | 0003 | 3299.46                  | 1319.78                                                      |                                                | 3299.46                                      | 1319.78                                                      |                                                | 4103.61                         | 1641.44                                                      |                                                |
| 7    | छात्रावास संधारण                      | गैर योजना  | 2225      | 01 | 277 | 0002 | 396.04                   | 118.81                                                       |                                                | 400.92                                       | 120.28                                                       |                                                | 358.80                          | 107.64                                                       |                                                |
| 8    | पुस्तक अधिकोष की स्थापना              | गैर योजना  | 2225      | 01 | 277 | 0008 | 8.00                     | 2.40                                                         |                                                | 8.00                                         | 2.40                                                         |                                                | 8.00                            | 2.40                                                         |                                                |
| 9    | छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां          | गैर योजना  | 2225      | 01 | 277 | 0011 | 130.00                   | 39.00                                                        |                                                | 130.00                                       | 39.00                                                        |                                                | 130.00                          | 39.00                                                        |                                                |
| 10   | प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र       | गैर योजना  | 2225      | 01 | 277 | 0012 | 66.96                    | 20.09                                                        |                                                | 86.92                                        | 26.08                                                        |                                                | 96.98                           | 29.09                                                        |                                                |
| 11   | वैधिक सहायता                          | गैर योजना  | 2225      | 01 | 800 | 0004 | 1.00                     | 0.30                                                         |                                                | 1.00                                         | 0.30                                                         |                                                | 1.00                            | 0.30                                                         |                                                |
| 12   | अनुजाति के खानाबदोश जातियों का कल्याण | गैर योजना  | 2225      | 01 | 800 | 0005 | 9.39                     | 2.82                                                         |                                                | 9.39                                         | 2.82                                                         |                                                | 10.23                           | 3.07                                                         |                                                |

|         |                                                                               |             |      |    |     |      |          |         |         |          |         |         |          |         |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-----|------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 13      | निदेशन एवं प्रशासन                                                            | राज्य योजना | 2225 | 01 | 001 | 0101 | 141.00   | 42.30   |         | 141.00   | 42.30   |         | 141.00   | 42.30   |         |
| 14      | परिवारोन्मुखी<br>आयोत्पादक<br>योजना-5 प्रतिशत<br>अतिरिक्त अनुदान              | राज्य योजना | 2225 | 01 | 102 | 0101 | 100.00   | 30.00   |         | 100.00   | 30.00   |         | 100.00   | 30.00   |         |
| 15      | महादलित विकास हेतु                                                            | राज्य योजना | 2225 | 01 | 102 | 0115 | 3780.00  | 1134.00 |         | 3780.00  | 1134.00 |         | 9200.00  | 2760.00 |         |
| 16      | छात्रवृत्ति/वजीफा<br>(ब्लॉक पंचायत)                                           | राज्य योजना | 2225 | 01 | 197 | 0101 | 1563.00  | 468.90  |         | 1563.00  | 468.90  |         | 1963.41  | 589.02  |         |
| 17      | शिक्षा                                                                        | राज्य योजना | 2225 | 01 | 277 | 0107 | 2862.00  |         | 2862.00 | 2862.00  |         | 2862.00 | 3282.74  |         | 3282.74 |
| 18      | छात्रवृत्ति/वजीफा<br>(ग्राम पंचायत)                                           | राज्य योजना | 2225 | 01 | 198 | 0101 | 6360.00  | 1908.00 |         | 6360.00  | 1908.00 |         | 6000.00  | 1800.00 |         |
| 19      | आवासीय विद्यालय,<br>छात्रावास एवं अन्य<br>भवनों का निर्माण<br>एवं जीर्णोद्धार | राज्य योजना | 4225 | 01 | 051 | 0101 | 1189.50  | 356.85  |         | 1189.50  | 356.85  |         | 1275.00  | 382.50  |         |
| 20      | महादलित प्रशिक्षण<br>आंगनबाड़ हेतु                                            | राज्य योजना | 4225 | 01 | 800 | 0101 | 0.00     |         | 0.00    | 0.00     |         | 0.00    | 700.00   |         | 700.00  |
| 21      | प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति                                                     | के०प्रा०यो० | 2225 | 01 | 277 | 0613 | 1500.00  | 450.00  |         | 1500.00  | 450.00  |         | 1500.00  | 450.00  |         |
| 22      | मेरिट उन्नयन                                                                  | के०प्रा०यो० | 2225 | 01 | 277 | 0609 | 25.00    | 7.50    |         | 25.00    | 7.50    |         | 25.00    | 7.50    |         |
| 23      | विशेष केन्द्रीय<br>सहायता                                                     | के०प्रा०यो० | 2225 | 01 | 102 | 0612 | 2500.00  | 750.00  |         | 2500.00  | 750.00  |         | 0.00     | 0.00    |         |
| 24      | अस्वच्छ कार्य                                                                 | के०प्रा०यो० | 2225 | 01 | 277 | 0606 | 10.00    | 3.00    |         | 10.00    | 3.00    |         | 20.00    | 6.00    |         |
| 25      | छात्रावास निर्माण                                                             | के०प्रा०यो० | 2225 | 01 | 277 | 0602 | 335.00   | 100.50  |         | 335.00   | 100.50  |         | 0.00     | 0.00    |         |
| 26      | प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति                                                     | के०प्रा०यो० | 2225 | 01 | 277 | 0613 | 1500.00  | 450.00  |         | 1500.00  | 450.00  |         | 1500.00  | 450.00  |         |
| 27      | अनुसूचित जाति के<br>छात्र/छात्राओं के<br>लिए छात्रावास<br>भवन का निर्माण      | के०प्रा०यो० | 4225 | 01 | 277 | 0601 | 0.00     | 0.00    |         | 0.00     | 0.00    |         | 660.00   | 330.00  |         |
| 28      | अनुसूचित जाति का<br>बहुमुखी विकास                                             | के०यो०यो०   | 2225 | 01 | 793 | 0401 | 0.00     | 0.00    |         | 0.00     | 0.00    |         | 2500.00  | 750.00  |         |
| कुल योग |                                                                               |             |      |    |     |      | 26396.35 | 7390.25 | 2862.00 | 26421.19 | 7397.70 | 2862.00 | 34195.77 | 9606.27 | 3982.74 |

| अनुसूचित जन-जाति |                                                                |             |      |    |     |      |          |         |         |          |         |         |          |          |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-----|------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|
| 1                | छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ                                    | गैर योजना   | 2225 | 02 | 277 | 0001 | 33.50    | 10.05   |         | 33.50    | 10.05   |         | 33.50    | 10.05    |
| 2                | लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास                                | गैर योजना   | 2225 | 02 | 277 | 0003 | 35.69    | 10.71   |         | 35.69    | 10.71   |         | 21.75    | 6.53     |
| 3                | आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केन्द्रों का संधारण          | गैर योजना   | 2225 | 02 | 282 | 0001 | 35.05    | 10.52   |         | 35.05    | 10.52   |         | 40.58    | 12.17    |
| 4                | खड़िया एवं अन्य आदिम जातियों का कल्याण                         | गैर योजना   | 2225 | 02 | 800 | 0001 | 32.38    | 9.71    |         | 32.38    | 9.71    |         | 35.00    | 10.50    |
| 5                | धारा 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से सहायता                   | राज्य योजना | 2225 | 02 | 102 | 0101 | 302.00   | 90.60   |         | 302.00   | 90.60   |         | 277.00   | 83.10    |
| 6                | विशेष केन्द्रीय सहायता                                         | राज्य योजना | 2225 | 02 | 102 | 0102 | 660.00   | 198.00  |         | 660.00   | 198.00  |         | 605.00   | 181.50   |
| 7                | उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति                                      | राज्य योजना | 2225 | 02 | 197 | 0101 | 210.00   | 63.00   |         | 210.00   | 63.00   |         | 210.00   | 63.00    |
| 8                | शिक्षा                                                         | राज्य योजना | 2225 | 02 | 277 | 0101 | 267.00   | 80.10   |         | 267.00   | 80.10   |         | 315.00   | 94.50    |
| 9                | थरुहट क्षेत्र विकास                                            | राज्य योजना | 2225 | 02 | 796 | 0125 | 0.00     | 0.00    |         | 0.00     | 0.00    |         | 822.00   | 246.60   |
| 10               | प्रा० एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति                            | राज्य योजना | 2225 | 02 | 198 | 0101 | 430.00   | 129.00  |         | 430.00   | 129.00  |         | 430.00   | 129.00   |
| 11               | आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार | राज्य योजना | 4225 | 02 | 277 | 0101 | 95.50    | 28.65   |         | 95.50    | 28.65   |         | 110.00   | 33.00    |
| 12               | प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति                                      | के०प्रा०यो० | 2225 | 02 | 277 | 0607 | 20.00    | 6.00    |         | 70.00    | 21.00   |         | 100.00   | 30.00    |
| 13               | प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र                                | के०प्रा०यो० | 2225 | 02 | 277 | 0603 | 3.00     | 0.90    |         | 3.00     | 0.90    |         | 3.00     | 0.90     |
| 14               | आदिम जातियों का बीमा योजना                                     | के०यो०यो०   | 2225 | 02 | 102 | 0403 | 5.00     | 1.50    |         | 5.00     | 1.50    |         | 0.00     | 0.00     |
|                  | कुल योग                                                        |             |      |    |     |      | 2129.12  | 638.74  | 0.00    | 2179.12  | 653.74  | 0.00    | 3002.83  | 900.85   |
|                  | महायोग                                                         |             |      |    |     |      | 28525.47 | 8028.98 | 2862.00 | 28600.31 | 8051.44 | 2862.00 | 37198.60 | 10507.12 |

**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

मॉड संख्या :-36

(राशि लाख में)

|         |                                                                                               |             |                  | वित्तीय वर्ष 2009-10 में |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित प्राक्कलन |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए     |                                                              |                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| क्र०    | परियोजना/कार्यक्रम                                                                            | समूह शीर्ष  | बजट शीर्ष        | बजट प्रावधान की राशि     | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि             | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) |
| 1       | ग्रामीण जलापूर्ति योजना                                                                       | राज्य योजना | 4215 01 102 0101 | 3520.00                  | 1056.00                                                      |                                                | 3520.00                                      | 1056.00                                                      |                                                | 3520.00                         | 1056.00                                                      |                                                |
| 2       | बीस हजार तक आबादी वाले ग्राम क्षेत्र/उपनगरों में पाईप द्वारा जलापूर्ति                        | राज्य योजना | 4215 01 102 0102 | 380.00                   | 114.00                                                       |                                                | 380.00                                       | 114.00                                                       |                                                | 330.00                          | 99.00                                                        |                                                |
| 3       | भू-गर्भीय जल रिचार्ज एवं रेन-वाटर हारवेस्टिंग                                                 | राज्य योजना | 4215 01 102 0115 | 250.00                   | 75.00                                                        |                                                | 250.00                                       | 75.00                                                        |                                                | 250.00                          | 75.00                                                        |                                                |
| 4       | भू-गर्भीय जल रिचार्ज एवं रेन-वाटर हारवेस्टिंग                                                 | राज्य योजना | 4215 01 102 0112 | 50.00                    | 15.00                                                        |                                                | 50.00                                        | 15.00                                                        |                                                | 50.00                           | 15.00                                                        |                                                |
| 5       | ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना के विकास हेतु                               | राज्य योजना | 4215 01 102 0116 | 4950.00                  | 1485.00                                                      |                                                | 4950.00                                      | 1485.00                                                      |                                                | 4950.00                         | 1485.00                                                      |                                                |
| 6       | भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाच्छादित जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों में नलकूप का निर्माण | राज्य योजना | 4215 01 102 0117 | 400.00                   | 120.00                                                       |                                                | 400.00                                       | 120.00                                                       |                                                | 900.00                          | 270.00                                                       |                                                |
| 7       | प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति                                                        | राज्य योजना | 4215 01 102 0118 | 3000.00                  | 900.00                                                       |                                                | 3000.00                                      | 900.00                                                       |                                                | 4553.94                         | 1366.18                                                      |                                                |
| 8       | भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाच्छादित जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों में नलकूप का निर्माण | राज्य योजना | 4215 01 102 0120 | 4500.00                  | 1350.00                                                      |                                                | 4500.00                                      | 1350.00                                                      |                                                | 5000.00                         | 1500.00                                                      |                                                |
| 9       | अर्द्ध शहरी/शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की व्यवस्था                                          | राज्य योजना | 4215 01 102 0121 | 50.00                    | 15.00                                                        |                                                | 50.00                                        | 15.00                                                        |                                                | 100.00                          | 30.00                                                        |                                                |
| 10      | ग्रामीण स्वच्छता                                                                              | राज्य योजना | 4215 02 106 0101 | 5000.00                  | 1500.00                                                      |                                                | 5000.00                                      | 1500.00                                                      |                                                | 4400.00                         | 1320.00                                                      |                                                |
| 11      | शहरी क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण                              | राज्य योजना | 4215 02 106 0104 | 300.00                   | 90.00                                                        |                                                | 300.00                                       | 90.00                                                        |                                                | 300.00                          | 90.00                                                        |                                                |
| कुल योग |                                                                                               |             |                  | 22400.00                 | 6720.00                                                      |                                                | 22400.00                                     | 6720.00                                                      |                                                | 24353.94                        | 7306.18                                                      |                                                |

**अल्पसंख्यक कल्याण विभाग**

माँग संख्या : - 30

(राशि लाख में)

|         |                                                                           |             |           |    |     |      | वित्तीय वर्ष 2009-10 में |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित प्राक्कलन |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए     |                                                              |                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----|-----|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| क्र०    | परियोजना/कार्यक्रम                                                        | समूह शीर्ष  | बजट शीर्ष |    |     |      | बजट प्रावधान की राशि     | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि             | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) |
| 1       | मुस्लिम परित्यक्ता को सहायता राशि                                         | राज्य योजना | 2250      | 00 | 800 | 0109 | 200.00                   |                                                              | 200.00                                         | 200.00                                       |                                                              | 200.00                                         | 50.00                           |                                                              | 50.00                                          |
| 2       | अल्पसंख्यक छात्रों/ छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग | राज्य योजना | 2250      | 00 | 800 | 0106 | 100.00                   | 30.00                                                        |                                                | 100.00                                       | 30.00                                                        |                                                | 100.00                          | 30.00                                                        |                                                |
| 3       | कॉलेज में पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्रों/ छात्राओं को छात्रवृत्ति             | राज्य योजना | 2250      | 00 | 800 | 0105 | 100.00                   | 30.00                                                        |                                                | 100.00                                       | 30.00                                                        |                                                | 100.00                          | 30.00                                                        |                                                |
| 4       | अल्पसंख्यक छात्रों एवं छात्राओं के लिए छात्रावास                          | राज्य योजना | 4225      | 80 | 800 | 0101 | 900.00                   | 400.00                                                       |                                                | 900.00                                       | 400.00                                                       |                                                | 1450.00                         | 1000.00                                                      |                                                |
| कुल योग |                                                                           |             |           |    |     |      | 1300.00                  | 460.00                                                       | 200.00                                         | 1300.00                                      | 460.00                                                       | 200.00                                         | 1700.00                         | 1060.00                                                      | 50.00                                          |

मानव संसाधन विकास विभाग

मॉड संख्या :-21  
प्राथमिक शिक्षा

(राशि लाख में)

|         |                                               |             |                  | वित्तीय वर्ष 2009-10 में |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित प्राक्कलन |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए      |                                                              |                                                |
|---------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| क्र०    | परियोजना/कार्यक्रम                            | समूह शीर्ष  | बजट शीर्ष        | बजट प्रावधान की राशि     | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि             | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्रावधान की प्रास्तावित राशि | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) |
| 1       | नगर शिक्षकों को समेकित भुगतान                 | गैर योजना   | 2202 01 191 0001 | 615.00                   | 184.50                                                       |                                                | 615.00                                       | 184.50                                                       |                                                | 738.00                           | 480.00                                                       |                                                |
| 2       | नगर शिक्षकों को समेकित भुगतान                 | गैर योजना   | 2202 01 192 0001 | 320.40                   | 96.12                                                        |                                                | 320.40                                       | 96.12                                                        |                                                | 350.00                           | 227.50                                                       |                                                |
| 3       | नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान                 | गैर योजना   | 2202 01 193 0001 | 626.40                   | 187.92                                                       |                                                | 626.40                                       | 187.92                                                       |                                                | 751.68                           | 408.60                                                       |                                                |
| 4       | प्रखण्ड एवं शारीरिक शिक्षकों को समेकित भुगतान | गैर योजना   | 2202 01 197 0002 | 13928.40                 | 4178.52                                                      |                                                | 13928.40                                     | 4178.52                                                      |                                                | 16715.00                         | 10864.75                                                     |                                                |
| 5       | पंचायत शिक्षकों को समेकित भुगतान              | गैर योजना   | 2202 01 198 0002 | 72775.20                 | 21832.56                                                     |                                                | 69544.31                                     | 20863.29                                                     |                                                | 35075.20                         | 22798.75                                                     |                                                |
| 6       | प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों को खेलकूद हेतु   | गैर योजना   | 2202 01 800 0008 | 3004.00                  | 901.20                                                       |                                                | 3004.00                                      | 901.20                                                       |                                                | 0.02                             | 0.01                                                         |                                                |
| 7       | मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना                | गैर योजना   | 2202 01 101 0001 | 8929.74                  |                                                              | 8929.74                                        | 8929.74                                      |                                                              | 8929.74                                        | 0.00                             |                                                              | 0.00                                           |
| 8       | सर्व शिक्षा अभियान                            | गैर योजना   | 2202 01 111 0001 | 40000.00                 | 12000.00                                                     |                                                | 40000.00                                     | 12000.00                                                     |                                                | 0.00                             | 0.00                                                         |                                                |
| 9       | औजार योजना                                    | राज्य योजना | 2202 01 101 0111 | 0.00                     |                                                              | 0.00                                           | 0.00                                         |                                                              | 0.00                                           | 600.00                           |                                                              | 600.00                                         |
| 10      | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान              | राज्य योजना | 2202 02 109 0107 | 0.00                     | 0.00                                                         |                                                | 0.00                                         | 0.00                                                         |                                                | 33603.00                         | 21841.95                                                     |                                                |
| 11      | सर्व शिक्षा अभियान                            | राज्य योजना | 2202 01 111 0101 | 80345.00                 | 24103.50                                                     |                                                | 80345.00                                     | 24103.50                                                     |                                                | 80000.00                         | 40000.00                                                     |                                                |
| 12      | मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना                | राज्य योजना | 2202 01 109 0102 | 0.00                     |                                                              | 0.00                                           | 0.00                                         |                                                              | 0.00                                           | 13200.00                         |                                                              | 13200.00                                       |
| 13      | मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना               | राज्य योजना | 2202 02 800 0108 | 0.00                     |                                                              | 0.00                                           | 0.00                                         |                                                              | 0.00                                           | 9800.00                          |                                                              | 9800.00                                        |
| कुल योग |                                               |             |                  | 220544.14                | 63484.32                                                     | 8929.74                                        | 208383.51                                    | 62515.053                                                    | 8929.74                                        | 190832.9                         | 96621.556                                                    | 23600                                          |

माध्यमिक शिक्षा

|    |                                                     |           |                  |          |         |        |          |         |        |          |          |        |
|----|-----------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|----------|--------|
| 14 | निरीक्षिका स्थापना                                  | गैर योजना | 2202 02 101 0001 | 474.12   |         | 474.12 | 474.12   |         | 474.12 | 572.87   |          | 572.87 |
| 15 | नगर मा०शि० का समेकित भुगतान                         | गैर योजना | 2202 02 191 0001 | 461.52   | 138.46  |        | 461.52   | 138.46  |        | 1287.72  | 837.00   |        |
| 16 | नगर मो० शि० का समेकित भुगतान                        | गैर योजना | 2202 02 192 0001 | 918.72   | 275.62  |        | 918.72   | 275.62  |        | 1172.64  | 761.10   |        |
| 17 | जिला परिषदों मा० शि० का समेकित भुगतान               | गैर योजना | 2202 02 196 0001 | 16391.52 | 4917.46 |        | 16391.52 | 4917.46 |        | 12490.80 | 8119.80  |        |
| 18 | नगर मा० शि० का समेकित भुगतान                        | गैर योजना | 2202 02 193 0001 | 1222.56  | 366.77  |        | 1222.56  | 366.77  |        | 922.32   | 645.00   |        |
| 19 | नगर उ०मा०शि० का समेकित भुगतान                       | गैर योजना | 2202 02 191 0002 | 504.84   | 151.45  |        | 504.84   | 151.45  |        | 1191.36  | 774.15   |        |
| 20 | नगर पंचायत उ० मा० शि० का समेकित भुगतान              | गैर योजना | 2202 02 193 0002 | 122.64   | 36.79   |        | 122.64   | 36.79   |        | 312.96   | 203.42   |        |
| 21 | जिला परिषदों उ० मा० शि० का समेकित भुगतान            | गैर योजना | 2202 02 196 0002 | 3277.68  | 983.30  |        | 3277.68  | 983.30  |        | 4392.96  | 2855.40  |        |
| 22 | नगर पालिकाओं/ नगर परिषद उ० मा० शि० का समेकित भुगतान | गैर योजना | 2202 02 192 0002 | 821.52   | 246.46  |        | 821.52   | 246.46  |        | 414.72   | 269.60   |        |
|    | योग -                                               |           |                  | 24195.12 | 7116.30 | 474.12 | 24195.12 | 7116.30 | 474.12 | 22758.35 | 14465.47 | 572.87 |

उच्च शिक्षा

|    |                                                  |           |                  |           |          |         |           |          |        |           |           |          |
|----|--------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------|---------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|----------|
| 23 | राजकीय महिला<br>महाविद्यालय /<br>गुलजारबाग, पटना | गैर योजना | 2202 03 103 0003 | 434.38    |          | 434.38  | 434.38    |          | 434.38 | 466.64    |           | 466.64   |
| 24 | पटना विश्वविद्यालय                               | गैर योजना | 2202 03 102 0001 | 6329.16   | 1898.75  |         | 6329.16   | 1898.75  |        | 7278.53   | 2183.56   |          |
| 25 | मगध विश्वविद्यालय                                | गैर योजना | 2202 03 102 0002 | 23768.52  | 7130.56  |         | 23768.52  | 7130.56  |        | 27333.80  | 8200.14   |          |
| 26 | बाबा साहेब भीम राव<br>अम्बेदकर विश्वविद्यालय     | गैर योजना | 2202 03 102 0003 | 12680.19  | 3804.06  |         | 12680.19  | 3804.06  |        | 14582.22  | 4374.67   |          |
| 27 | जय प्रकाश<br>विश्वविद्यालय                       | गैर योजना | 2202 03 102 0004 | 5548.66   | 1664.60  |         | 5548.66   | 1664.60  |        | 6380.96   | 1914.29   |          |
| 28 | वीर कुँवर सिंह<br>विश्वविद्यालय                  | गैर योजना | 2202 03 102 0005 | 6355.17   | 1906.55  |         | 6355.17   | 1906.55  |        | 7308.45   | 2192.54   |          |
| 29 | बी० एन० मंडल<br>विश्वविद्यालय                    | गैर योजना | 2202 03 102 0008 | 7703.9    | 2311.17  |         | 7703.90   | 2311.17  |        | 8859.49   | 2657.85   |          |
| 30 | भागलपुर विश्वविद्यालय                            | गैर योजना | 2202 03 102 0009 | 12097.77  | 3629.33  |         | 12097.77  | 3629.33  |        | 13912.44  | 4173.73   |          |
| 31 | ललित ना० मिथिला<br>विश्वविद्यालय                 | गैर योजना | 2202 03 102 0011 | 12975.38  | 3892.61  |         | 12975.38  | 3892.61  |        | 14921.69  | 4476.51   |          |
| 32 | कामेश्वर सिंह संस्कृत<br>विश्वविद्यालय           | गैर योजना | 2202 03 102 0012 | 3021.26   | 906.38   |         | 3021.26   | 906.38   |        | 3474.45   | 1042.34   |          |
| 33 | जन शिक्षा निदेशालय                               | गैर योजना | 2202 04 001 0002 | 100.21    | 30.06    |         | 100.21    | 30.06    |        | 133.57    | 40.07     |          |
| 34 | जिला जन शिक्षा<br>कार्यालय                       | गैर योजना | 2202 04 200 0001 | 443.15    | 132.95   |         | 508.02    | 152.41   |        | 669.77    | 200.93    |          |
|    | योग –                                            |           |                  | 91457.75  | 27307.01 | 434.38  | 91522.62  | 27326.47 | 434.38 | 105322.01 | 31456.61  | 466.64   |
|    | महायोग–                                          |           |                  | 336197.01 | 97907.63 | 9838.24 | 324101.25 | 96957.83 | 908.50 | 318913.26 | 142543.64 | 24639.51 |

स्वास्थ्य विभाग

माँग संख्या :-20

(राशि लाख में)

|         |                                                   |             |                  | वित्तीय वर्ष 2009-10 में |                                                             |                                               | वित्तीय वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित प्राक्कलन |                                                             |                                               | वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए     |                                                             |                                               |
|---------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| क्र०    | परियोजना/कार्यक्रम                                | समूह शीर्ष  | बजट शीर्ष        | बजट प्रावधान की राशि     | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी-1) | बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि             | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी-1) | बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी-1) |
| 1       | मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य                         | गैर योजना   | 2211 00 103 0001 | 248.04                   |                                                             | 248.04                                        | 248.04                                       |                                                             | 248.04                                        | 268.79                          |                                                             | 268.79                                        |
| 2       | नर्स प्रशिक्षण                                    | गैर योजना   | 2210 05 105 0012 | 394.35                   |                                                             | 394.35                                        | 394.35                                       |                                                             | 394.35                                        | 534.92                          |                                                             | 534.92                                        |
| 3       | महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय      | गैर योजना   | 2210 05 105 0011 | 57.62                    |                                                             | 57.62                                         | 57.62                                        |                                                             | 57.62                                         | 72.19                           |                                                             | 72.19                                         |
| 4       | ए०एन०एम०/ एल० एच० भी० का स्थापना व्यय             | के०प्रा०यो० | 2211 00 101 0602 | 18119.32                 |                                                             | 18119.32                                      | 18119.32                                     |                                                             | 18119.32                                      | 25522.40                        |                                                             | 25522.40                                      |
| 5       | ए०एन०एम०/ एल० एच० भी० का प्रशिक्षण हेतु           | के०प्रा०यो० | 2211 00 003 0604 | 723.35                   | 217.01                                                      |                                               | 723.35                                       | 217.01                                                      |                                               | 1097.54                         | 329.26                                                      |                                               |
| 6       | शहरी परिवार कल्याण केन्द्र                        | के०प्रा०यो० | 2211 00 102 0601 | 143.59                   | 43.08                                                       |                                               | 143.59                                       | 43.08                                                       |                                               | 218.66                          | 65.60                                                       |                                               |
| 7       | तकनीकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण, जिला कल्याण ब्यूरो | के०प्रा०यो० | 2211 00 001 0603 | 1610.00                  | 483.00                                                      |                                               | 1610.00                                      | 483.00                                                      |                                               | 2191.32                         | 657.40                                                      |                                               |
| कुल योग |                                                   |             |                  | 21296.27                 | 743.08                                                      | 18819.33                                      | 21296.27                                     | 743.08                                                      | 18819.33                                      | 29905.82                        | 1052.26                                                     | 26398.30                                      |

ग्रामीण विकास विभाग

माँग संख्या :-42

(राशि लाख में)

|         |                                               |             |           |    |     |      | वित्तीय वर्ष 2009-10 में |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित प्राक्कलन |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए     |                                               |                                                |
|---------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|----|-----|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| क्र०    | परियोजना/कार्यक्रम                            | समूह शीर्ष  | बजट शीर्ष |    |     |      | बजट प्रावधान की राशि     | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि             | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि | कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) |
| 1       | इन्दिरा आवास योजना                            | राज्य योजना | 2216      | 03 | 105 | 0102 | 0.00                     |                                                              | 0.00                                           | 0.00                                         |                                                              | 0.00                                           | 78000.00                        |                                               | 78000.00                                       |
| 2       | इन्दिरा आवास योजना                            | राज्य योजना | 2505      | 01 | 701 | 0107 | 60168.00                 |                                                              | 60168.00                                       | 60168.00                                     |                                                              | 60168.00                                       | 0.00                            |                                               | 0.00                                           |
| 3       | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना         | राज्य योजना | 2505      | 60 | 105 | 0102 | 30000.00                 | 9000.00                                                      |                                                | 30000.00                                     | 9000.00                                                      |                                                | 24722.19                        | 4449.99                                       |                                                |
| 4       | स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (राज्यांश) | राज्य योजना | 2501      | 01 | 800 | 0102 | 6500.00                  | 3900.00                                                      |                                                | 6500.00                                      | 3900.00                                                      |                                                | 10000.00                        | 6000.00                                       |                                                |
| कुल योग |                                               |             |           |    |     |      | 96668.00                 | 12900.00                                                     | 60168.00                                       | 96668.00                                     | 12900.00                                                     | 60168.00                                       | 112722.19                       | 10449.99                                      | 78000.00                                       |

नगर विकास एवं आवास विभाग

मॉड संख्या :-48

(राशि लाख में)

|      |                                                      |             |                  | वित्तीय वर्ष 2009-10 में |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित प्राक्कलन |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए     |                                                              |                                                |
|------|------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| क्र० | परियोजना/कार्यक्रम                                   | समूह शीर्ष  | बजट शीर्ष        | बजट प्रावधान की राशि     | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि             | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) |
| 1    | स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना                       | राज्य योजना | 2217 80 800 0115 | 991.06                   | 297.32                                                       |                                                | 991.06                                       | 297.32                                                       |                                                | 640.00                          | 512.00                                                       |                                                |
| 2    | जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन योजना     | राज्य योजना | 2217 80 800 0122 | 25100.00                 | 7530.00                                                      |                                                | 25100.00                                     | 7530.00                                                      |                                                | 90000.00                        | 36000.00                                                     |                                                |
| 3    | समेकित आवास एवं गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम           | राज्य योजना | 2217 80 800 0123 | 6500.00                  | 1950.00                                                      |                                                | 6500.00                                      | 1950.00                                                      |                                                | 15000.00                        | 12000.00                                                     |                                                |
| 4    | मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना                         | राज्य योजना | 2217 80 800 0124 | 40000.00                 | 12000.00                                                     |                                                | 40000.00                                     | 12000.00                                                     |                                                | 5000.00                         | 1500.00                                                      |                                                |
| 5    | नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता   | राज्य योजना | 2217 80 191 0114 | 23.95                    | 7.19                                                         |                                                | 23.95                                        | 7.19                                                         |                                                | 35.00                           | 17.50                                                        |                                                |
| 6    | नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता  | राज्य योजना | 2217 80 192 0107 | 70.92                    | 21.28                                                        |                                                | 70.92                                        | 21.28                                                        |                                                | 60.00                           | 30.00                                                        |                                                |
| 7    | नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता | राज्य योजना | 2217 80 193 0106 | 63.87                    | 19.16                                                        |                                                | 63.87                                        | 19.16                                                        |                                                | 65.00                           | 32.50                                                        |                                                |
|      | कुल योग                                              |             |                  | 72749.80                 | 21824.94                                                     | 0.00                                           | 72749.80                                     | 21824.94                                                     | 0.00                                           | 110800.00                       | 50092.00                                                     |                                                |

पंचायती राज विभाग

माँग संख्या :-16

(राशि लाख में)

|         |                                                                     |             |                  | वित्तीय वर्ष 2009-10 में |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित प्राक्कलन |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए |                                                              |                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| क्र०    | परियोजना/कार्यक्रम                                                  | समूह शीर्ष  | बजट शीर्ष        | बजट में प्रस्तावित राशि  | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि             | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट में प्रस्तावित राशि     | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) |
| 1       | न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव को संविदा राशि का भुगतान           | गैर योजना   | 2515 00 800 0012 | 4570.02                  | 2285.01                                                      |                                                | 4570.02                                      | 2285.01                                                      |                                                | 4570.02                     | 2285.01                                                      |                                                |
| 2       | पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण         | राज्य योजना | 2515 00 001 0104 | 237.00                   | 71.10                                                        |                                                | 237.00                                       | 71.10                                                        |                                                | 0.00                        | 0.00                                                         |                                                |
| 3       | बी०आर०जी०एफ० कार्यक्रम अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण | राज्य योजना | 2515 00 800 0113 | 2816.00                  | 1408.00                                                      |                                                | 2816.00                                      | 1408.00                                                      |                                                | 3600.00                     | 1800.00                                                      |                                                |
| कुल योग |                                                                     |             |                  | 7623.02                  | 3764.11                                                      |                                                | 7623.02                                      | 3764.11                                                      |                                                | 8170.02                     | 4085.01                                                      |                                                |

## श्रम संसाधन विभाग

मॉड संख्या :-26

(राशि लाख में)

|         |                                                                         |             |                  | वित्तीय वर्ष 2009-10 में |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित प्राक्कलन |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए |                                                              |                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| क्र०    | परियोजना/कार्यक्रम                                                      | समूह शीर्ष  | बजट शीर्ष        | बजट में प्रस्तावित राशि  | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि             | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट में प्रस्तावित राशि     | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) |
| 1       | स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना | राज्य योजना | 2230 03 003 0112 | 24.00                    |                                                              | 24.00                                          | 24.00                                        |                                                              | 24.00                                          | 5.00                        |                                                              | 5.00                                           |
| 2       | नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।                        | राज्य योजना | 2230 03 101 0101 | 130.00                   |                                                              | 130.00                                         | 130.00                                       |                                                              | 130.00                                         | 60.03                       |                                                              | 60.03                                          |
| 3       | ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन                                      | राज्य योजना | 2230 01 103 0101 | 18.92                    | 5.67                                                         |                                                | 18.92                                        | 5.67                                                         |                                                | 23.00                       | 6.90                                                         |                                                |
| 4       | बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण                                  | राज्य योजना | 2230 01 103 0103 | 58.10                    | 7.00                                                         |                                                | 58.10                                        | 7.00                                                         |                                                | 60.00                       | 7.00                                                         |                                                |
| 5       | बीड़ी श्रमिकों के लिए गृह निर्माण हेतु                                  | राज्य योजना | 2230 01 109 0101 | 100.00                   | 25.00                                                        |                                                | 100.00                                       | 25.00                                                        |                                                | 25.00                       | 7.00                                                         |                                                |
| 6       | अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वास पर व्यय                       | राज्य योजना | 2230 01 114 0102 | 57.50                    | 15.00                                                        |                                                | 57.50                                        | 15.00                                                        |                                                | 67.50                       | 16.00                                                        |                                                |
| 7       | आम आदमी बीमा योजना                                                      | राज्य योजना | 2235 60 800 0103 | 1050.00                  | 250.00                                                       |                                                | 1050.01                                      | 250.00                                                       |                                                | 1275.00                     | 275.00                                                       |                                                |
| 8       | राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना                                          | राज्य योजना | 2235 60 800 0104 | 3150.00                  | 945.00                                                       |                                                | 3150.00                                      | 945.00                                                       |                                                | 3500.00                     | 1050.00                                                      |                                                |
| कुल योग |                                                                         |             |                  | 4588.52                  | 1247.67                                                      | 154.00                                         | 4588.53                                      | 1247.67                                                      | 154.00                                         | 5015.53                     | 1361.90                                                      | 65.03                                          |

योजना एवं विकास विभाग

माँग संख्या :-35

(राशि लाख में)

|         |                              |             |                  | वित्तीय वर्ष 2009-10 में |                                                             |                                               | वित्तीय वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित प्राक्कलन |                                                             |                                               | वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए |                                                             |                                               |
|---------|------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| क्र०    | परियोजना/कार्यक्रम           | समूह शीर्ष  | बजट शीर्ष        | बजट में प्रस्तावित राशि  | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी-1) | बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि             | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी-1) | बजट में प्रस्तावित राशि     | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी-1) |
| 1       | मुख्यमंत्री जिला विकास योजना | राज्य योजना | 2053 00 800 0105 | 8250.00                  | 2475.00                                                     |                                               | 8250.00                                      | 2475.00                                                     |                                               | 6000.00                     | 1800.00                                                     |                                               |
| कुल योग |                              |             |                  | 8250.00                  | 2475.00                                                     |                                               | 8250.00                                      | 2475.00                                                     |                                               | 6000.00                     | 1800.00                                                     |                                               |

**पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग**

मॉड संख्या :-11

(राशि लाख में)

|      |                                                         |             |           |    |     |      | वित्तीय वर्ष 2009-10 में |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित प्राक्कलन |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए |                                                              |                                                |
|------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|----|-----|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| क्र० | परियोजना/कार्यक्रम                                      | समूह शीर्ष  | बजट शीर्ष |    |     |      | बजट में प्रस्तावित राशि  | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि             | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट में प्रस्तावित राशि     | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) |
| 1    | छात्राओं के लिए छात्रावास (50:50)                       | राज्य योजना | 2225      | 03 | 277 | 0108 | 1149.80                  |                                                              | 1149.80                                        | 1149.80                                      |                                                              | 1149.80                                        | 0.00                        |                                                              | 0.00                                           |
| 2    | पिछड़ी जातिओं के लिए बारह कन्या उच्च विद्यालय           | राज्य योजना | 2225      | 03 | 277 | 0110 | 325.00                   |                                                              | 325.00                                         | 325.00                                       |                                                              | 325.00                                         | 0.00                        |                                                              | 0.00                                           |
| 3    | उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लौक पंचायत)            | राज्य योजना | 2225      | 03 | 197 | 0101 | 525.00                   | 175.00                                                       |                                                | 525.00                                       | 175.00                                                       |                                                | 525.00                      | 175.00                                                       |                                                |
| 4    | उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा)                  | राज्य योजना | 2225      | 03 | 277 | 0101 | 175.00                   | 58.33                                                        |                                                | 175.00                                       | 58.33                                                        |                                                | 175.00                      | 58.33                                                        |                                                |
| 5    | प्राथ० एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (198 ग्राम पंचायत) | राज्य योजना | 2225      | 03 | 198 | 0101 | 975.00                   | 325.00                                                       |                                                | 975.00                                       | 325.00                                                       |                                                | 975.00                      | 325.00                                                       |                                                |
| 6    | प्राथ० एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (277 शिक्षा)       | राज्य योजना | 2225      | 03 | 277 | 0101 | 325.00                   | 108.33                                                       |                                                | 325.00                                       | 108.33                                                       |                                                | 325.00                      | 108.33                                                       |                                                |
| 7    | प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति                               | राज्य योजना | 2225      | 03 | 277 | 0101 | 1000.00                  | 300.00                                                       |                                                | 1000.00                                      | 300.00                                                       |                                                | 2000.00                     | 600.00                                                       |                                                |

|         |                                                          |                         |      |    |     |      |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------|----|-----|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 8       | प्रावैधिक छात्रवृत्ति                                    | राज्य योजना             | 2225 | 03 | 277 | 0101 | 17.40   | 5.80    |         | 17.40   | 5.80    |         | 17.40   | 5.80    |        |
| 9       | मुख्यमंत्री अत्यन्त पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना ।       | राज्य योजना             | 2225 | 03 | 277 | 0101 | 900.00  | 300.00  |         | 900.00  | 300.00  |         | 1500.00 | 500.00  |        |
| 10      | पिछड़े वर्गों का कल्याण                                  | राज्य योजना             | 4225 | 03 | 277 | 0101 | 0.00    | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |         | 1073.77 | 322.13  |        |
| 11      | प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (50:50)                   | राज्य योजना             | 2225 | 03 | 277 | 0101 | 100.00  | 30.00   |         | 100.00  | 30.00   |         | 200.00  | 60.00   |        |
| 12      | प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (शत प्रतिशत)                   | केन्द्र प्रायोजित योजना | 2225 | 03 | 277 | 0601 | 1000.00 | 300.00  |         | 1000.00 | 300.00  |         | 2000.00 | 600.00  |        |
| 13      | प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (50:50)                   | केन्द्र प्रायोजित योजना | 2225 | 03 | 277 | 0602 | 100.00  | 30.00   |         | 100.00  | 30.00   |         | 200.00  | 60.00   |        |
| 14      | 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय का संधारण | गैर योजना               | 2225 | 03 | 277 | 0010 | 0.00    |         | 0.00    | 0.00    |         | 0.00    | 517.83  |         | 517.83 |
| कुल योग |                                                          |                         |      |    |     |      | 6592.20 | 1632.46 | 1474.80 | 6592.20 | 1632.46 | 1474.80 | 9509.00 | 2814.59 | 517.83 |

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

माँग संख्या :-40

(राशि लाख में)

|         |  |                                                                        |             |                  | वित्तीय वर्ष 2009-10 में |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2009-10 के पुनरीक्षित प्राक्कलन |                                                              |                                                | वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए     |                                                              |                                                |
|---------|--|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| क्र०    |  | परियोजना/कार्यक्रम                                                     | समूह शीर्ष  | बजट शीर्ष        | बजट प्रावधान की राशि     | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्राक्कलन की पुनरीक्षित राशि             | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) | बजट प्रावधान की प्रस्तावित राशि | महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी-2) | महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी-1) |
| 1       |  | भूमि अर्जन हेतु (वास रहित महादलित परिवार को 3 डीसमल रैयाती भूमि का कय) | राज्य योजना | 4047 00 050 0103 | 0.00                     |                                                              | 0.00                                           | 5000.00                                      |                                                              | 5000.00                                        | 5201.27                         |                                                              | 5201.27                                        |
| कुल योग |  |                                                                        |             |                  | 0.00                     | 0.00                                                         | 0.00                                           | 5000.00                                      | 0.00                                                         | 5000.00                                        | 5201.27                         | 0.00                                                         | 5201.27                                        |

## महिलाओं एवं बच्चों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

1. **महिला विकास निगम :-** महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महिला विकास निगम, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के जीवन-स्तर में गुणात्मक सुधार, उद्यमिता प्रोत्साहन, आयवर्द्धक गतिविधियाँ, स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण, सरकारी अथवा गैर-सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव, नेतृत्व विकास, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता अभिवृद्धि, बैंको से जुड़ाव एवं आधारभूत संरचना के निर्माण आदि कार्य कर रही है ।
2. **नारी शक्ति योजना :-** “नारी शक्ति योजना” के अंतर्गत महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सशक्तिकरण एवं नवाचारी योजना के निमित्त विभिन्न योजनाओं के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें अनैतिक पणन (Trafficking) एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष योजना बनायी गयी है, यथा-संरक्षण गृह, अल्पावास गृह, पालनाघर, बिहार राज्य महिला सूचना एवं संसाधन केन्द्र तथा महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन, पोषण तथा क्षमता निर्माण आदि । यह योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू की गयी है ।
3. **राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना :-** इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों की गर्भवती महिलाओं को एक मुश्त रुपये 500/- की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है । इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार के 19 वर्ष या इससे अधिक आयु की पहले दो जीवित बच्चों तक की गर्भवती महिलायें प्राप्त कर सकती हैं ।
4. **जननी एवं बाल सुरक्षा योजना :-** इस योजना के अन्तर्गत अस्पताल में बच्चे का जन्म होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये 1400/- एवं शहरी क्षेत्रों में रुपये 1000/- का भुगतान संबंधित अस्पताल द्वारा दिया जाता है ।
5. **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :-** “कन्या विवाह” योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा को रोकना है । इस योजना के तहत, कन्या को विवाह के

समय 5000/- (पाँच हजार) रुपये का भुगतान कन्या के नाम चेक/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा करना है । इस योजना का लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के वैसे परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय ₹0 60,000/- से कम हो । इस योजना का लाभ 22 नवम्बर 2007 पश्चात सम्पन्न विवाह के लिए देय होगा ।

6. **कन्या सुरक्षा योजना :-** इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना, कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना, लिंग अनुपात को बढ़ावा देना एवं जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना है । इस योजना का लाभ 22.11.2007 के पश्चात जन्म लेने वाली एक परिवार के मात्र दो कन्या संतानों तक के लिए देय होगा । योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वैसे परिवारों को देय होगा जिन्होंने जन्म का विधिवत निबंधन एक वर्ष के अन्दर कराया हो । इस योजना के लाभार्थी की आयु सीमा 0 से 3 वर्ष होनी चाहिए ।

इस योजना के तहत कन्या को जन्म के समय मात्र 2000/- (दो हजार) रुपये की राशि प्रति कन्या एक मुश्त अनुदान के रूप में यू०टी०आई० के चिल्ड्रेन कैरियर वेलैन्सड प्लान अथवा कन्या सुरक्षा ट्रस्ट द्वारा निर्धारित फंड में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाता है । कन्या के 18 वर्ष पुरा होने के बाद उस प्रमाण पत्र के परिपक्वता मूल्य के समतुल्य राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

7. **मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना :-** राज्य के माध्यमिक विद्यालय वर्ग-VI से VIII में नामांकित तथा उपस्थित होने वाली राज्य के प्रत्येक बालिका को प्रति वर्ष-700/- (सात सौ) रुपये पोशाक के लिए उनके बैंक खाता में स्थानान्तरित किया जाता है । बालिका शिक्षा को उच्च प्राथमिक स्तर पर बढ़ावा देने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है ।

इस योजना का उद्देश्य कक्षा VI से VIII का नामांकन, विद्यालय में बनाये रखना, छीजन रोकना, शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, लिंग भेद कम करना, शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाना, शैक्षणिक समता का निर्माण तथा महिला सशक्तिकरण है ।

8. **कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय :-** कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य समाज के सुविधा वंचित समूहों- अनुसूचित जाति/ जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बालिकाओं को प्रारम्भिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है ।

9. **लक्ष्मीबाई समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना(2007) :-** यह योजना 18 वर्ष से अधिक परंतु 65 वर्ष से कम आयु सीमा की विधवा जिनका परिवार बी०पी०एल० सूची में अंकित हो या जिनके परिवार की वार्षिक आय 30,000.00 हजार रुपये से अधिक न हो, को 200.00 प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है । पेंशन का भुगतान डाकघर के बचत खाता के माध्यम से किया जाता है ।
10. **इन्दिरा आवास योजना :-** इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूरों के सदस्यों तथा गैर-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण लोगों को एकमुश्त वित्तीय सहायता देकर आवसीय इकाइयों के निर्माण/ उन्नयन में मदद करना है ।
11. **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना :-** योजना का उद्देश्य शहरी निर्धनों को स्वरोजगार उपक्रम स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा सेवेतन रोजगार (Wage Employment) सृजन हेतु उत्पादन परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है । इस योजना की दो विशेष कार्यक्रम हैं - शहरी राजेगार कार्यक्रम एवं शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम । यह योजना 01.12.1997 से लागू की गयी है ।
12. **मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना :-** 9वीं कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रति बालिका 2000/- रुपये की राशि साईकिल क्रय के लिए उपलब्ध करायी जाती है । इससे बालिकाओं में आत्मविश्वास जागृत होता है एवं माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होती है ।

इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट करना, उनमें आत्मविश्वास भरना, नवीं कक्षा में बालिकाओं का नामांकन, उन्हें विद्यालय में बनाये रखना, छीजन रोकना है । इस योजना का लाभ वर्ग-IX में नामांकित होने वाली तथा उपस्थित रहने वाली सभी बालिकाओं को मिलता है ।

13. **ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम :-**

(क) संपूर्ण स्वच्छता अभियान- इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण जनता में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी घरों में शौचालय, सभी विद्यालयों में शौचालय, सभी आँगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय तथा महिलाओं के लिए आवश्यकतानुसार सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाना है ।

(ख) **लोहिया स्वच्छता योजना :-** राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ शौचालय का निर्माण तथा त्वरित गति से ग्रामीण स्वच्छता का आच्छादन प्राप्त करने के उद्देश्य से “लोहिया स्वच्छता योजना” की स्वीकृति प्रदान की गई है । लोहिया स्वच्छता योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ए०पी०एल० परिवार के लिए ऑफ द पीट (सींगल पीट के साथ) मॉडल के 2000/- रुपये की लागत राशि वाले शौचालय के निर्माण हेतु 1500/- रुपये

प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बी०पी०एल० परिवारों के लिए ओभर दी पीट शौचालय के बदले ऑफ द पीट मॉडल के शौचालय निर्माण करने का निर्णय लिया गया है ताकि शौचालय दीर्घकाल तक उपयोगी रह सके। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 500/- रुपया अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान इस कार्यक्रम में रखा गया है।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत योजना से महिलाओं के विकास पर होने वाला खर्च 50 प्रतिशत अनुमानित है।

14. **अन्तर्जातीय विवाह योजना :-** हिन्दू समाज में व्याप्त जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु अन्तर्जातीय विवाह करनेवाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। इस योजनान्तर्गत अन्तर्जातीय विवाह करने वाली महिला को 25,000 रुपये राशि का भुगतान राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से किया जाता है।
15. **मुस्लिम बालिकाओं के लिए हुनर योजना :-** मुस्लिम बालिकाओं के निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु 'हुनर' नामक योजना प्रारम्भ की गयी है। जिसमें सात व्यावसायिक ट्रेडों में 6 माह से लेकर एक वर्ष का निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
16. **स्वयंसिद्धा कार्यक्रम (केन्द्र प्रायोजित योजना) :-** महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिरण हेतु राज्य के 61 प्रखंडों में इस कार्यक्रम को लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर आय उत्पादक कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का कार्यान्वयन महिला विकास निगम के द्वारा किया जाता है।
17. **नेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एडुकेशन ऐट एलीमेन्ट्री लेवल (National Programme for Girls Education at Elementary Level) :-** यह योजना **अभिवर्धित** वर्ग की बालिकाओं को प्रारम्भिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने हेतु संचालित की जा रही है।
18. **ग्रामीण जलापूर्ति योजना :-** नाबार्ड के तहत 158 अर्द्ध प्रखंड मुख्यालयों में पेय जलापूर्ति हेतु योजना की स्वीकृति नाबार्ड से प्राप्त हुई है। इन पेयजलापूर्ति योजनाओं से महिलाओं के विकास पर होने वाला खर्च लगभग 40 प्रतिशत अनुमानित है।

19. **मूक बधिर विद्यालय एवं कर्मशाला का संधारण :-** राज्य में मूक बधिर छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा एवं आवास हेतु 5 मूक बधिर विद्यालय यथा पटना (बालक एवं बालिका), दरभंगा, मुंगेर एवं भागलपुर में संचालित है जिसमें अध्ययनरत छात्रों की मुफ्त शिक्षा, आवास, भोजन, वस्त्र तथा चिकित्सीय सुविधा आदि उपलब्ध कराई जाती है ।
20. **राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रय गृह :-** उत्तर रक्षा गृह, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 44 के अंतर्गत संचालित है जिसका मुख्य उद्देश्य बाल गृह एवं विशेष गृह से निकलने वाली बालिकाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनका पुनर्वास करना है । पुनः बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2003 के नियम 36 के अनुसार उत्तर रक्षा गृह में रह रहे आवासियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ रोजगार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाता है ।
21. **मध्य विद्यालय की छात्राओं का परिभ्रमण:-** इस योजना अन्तर्गत मध्य विद्यालय में नामांकित छात्र/ छात्राओं को वर्ष में एक बार शैक्षणिक परिभ्रमण हेतु राशि प्रदान की जाती है । इस योजना में छात्राओं को प्राथमिकता दी जाती है ।
22. **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम:-** इसके अन्तर्गत सीमावर्ती प्रखण्डों में बालिकाओं को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए क्षेत्र आधारित व्यवसायों में व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम “ज्ञान ज्योति” संचालित की जा रही है ।
23. **आम आदमी बीमा योजना :-** इस योजना का लाभ वैसे ग्रामीण भूमिहीन परिवार के प्रधान अथवा कमाऊ सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है के लोगों को मिल सकता है । इस योजना के तहत भूमिहीन से अभिप्राय वैसे परिवारों से है, जिनके पास बासगित जमीन को मिलाकर 50 डिसमिल से अधिक जमीन न हो ।
24. **बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :-** राज्य के बी०पी०एल० परिवार की विकलांग को सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रतिमाह रु० 200/- पेंशन की राशि के माध्यम से राहत पहुँचाना । गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करनेवाले परिवार के वैसे सभी निःसहाय विकलांग पर लागू होगी जिनकी आयु 10 से अधिक एवं 65 वर्ष से कम हो । वैसे विकलांग जिनका नाम बी०पी०एल० सूची में अंकित नहीं हो, परन्तु वार्षिक आय रु० 30,000/- से कम हो, इस योजना के अधीन योग्य माने जायेंगे । वैसे निःसहाय विकलांग जो बिहार के वासी हों या आवेदन की तिथि से कम से

कम 10 वर्ष पूर्व से रह रही हो । पेंशन का भुगतान रु० 200/-प्रतिमाह प्रति पेंशनधारी डाकघर बचत बैंक खाता में जमा के माध्यम से किया जायेगा ।

25. **राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :-** राज्य के बी०पी०एल० परिवार की 60 वर्ष से अधिक परन्तु 65 वर्ष से कम उम्र के वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रतिमाह रु० 200/- पेंशन की राशि राहत पहुँचाना । गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करनेवाले परिवार के वैसे वृद्ध जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक परन्तु 65 वर्ष से कम हो । वैसे निःसहाय वृद्ध जो बिहार के वासी हों या आवेदन की तिथि से कम से कम 10 वर्ष पूर्व से रह रही हो । पेंशन का भुगतान रु० 200/- प्रतिमाह प्रति पेंशनधारी डाकघर बचत बैंक खाता में जमा के माध्यम से किया जायेगा ।
26. **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना :-** सभी बी०पी०एल० परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के रूप में एक मुश्त 10 हजार रुपये से राहत पहुँचाना । गरीबी रेखा से नीचे बसर करनेवाले परिवार के वैसे कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर, जिनकी आयु 18 वर्ष से उपर 64 वर्ष तक हो, के आश्रित अनुदान के पात्र होंगे । जिला पदाधिकारी द्वारा दावा स्वीकृति के उपरांत 10 हजार रुपये की अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है ।
27. **नियमित टीकाकरण कार्यक्रम :-** इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य भर में टीका द्वारा बचाव वाली बीमारियों जैसे टेटनस, काली खाँसी, डिप्थीरिया, पोलियो एवं मीजल्स (खसरा) के टीकाकरण कार्यक्रम को सभी बच्चों तक पहुँचाना ।
28. **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना :-** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की छात्र को जो बिहार के स्थायी निवासी है तथा जिन्होंने प्रथम श्रेणी से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की है, को आगे की पढ़ाई चालू रखने हेतु एक मुश्त रु० 10000/- हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिससे की वे अपने आगे की पढ़ाई विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों इत्यादि की फीस, किताब/कॉपी एवं अन्य खर्च आदि का वहन कर सकें ।
29. **मुस्लिम परित्यक्ताओं को वित्तीय सहायता संबंधी योजना** अन्तर्गत मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं को स्वरोजगार हेतु रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये) वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

30. **मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधा वृत्ति योजना :-** इस योजना का उद्देश्य अनु० जाति एवं अनु० जन जाति के छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि कर विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अनु० जाति एवं अनु० जन जाति के छात्र-छात्राओं को ₹0 10000/- की राशि प्रत्येक छात्र-छात्रा के लिए मेधावृत्ति के रूप में दी जायेगी, जिससे कि वे अपनी आगे की पढ़ाई के क्रम में विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं आदि की फीस, आवासीय खर्च, किताब, कॉपी इत्यादि पर होने वाले खर्च का वहन कर सकें । इस योजना का लाभ बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को ही मिलेगा ।
31. **मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधा वृत्ति योजना :-** इस योजना का उद्देश्य राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थी, जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, लाभान्वित होंगे । इसमें प्रति विद्यार्थी रुपये 10000/- की राशि मेधावृत्ति के रूप में दी जाएगी । इस राशि का उपयोग विद्यार्थियों द्वारा अपनी आगे की पढ़ाई के क्रम में विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं आदि की फीस, आवासीय खर्च, किताब, कॉपी इत्यादि पर होने वाले खर्च पर किया जा सकेगा ।

